न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 08/2019

वादी

1. नारायणराम पुत्र हेमाराम जाति कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोपाल पुत्र केशाराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम
3. भैरूराम पुत्र बोदूराम जाति समस्त कुम्हार निवासी बानूड़ा स्कूल के पास कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा — बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 8-4-19

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की सह खातेदारी की आई हुई है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.4250 हैक्टर है। मौके पर वादी का कब्जा काश्त अलग से खसरा संख्या 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर में से 0.4250 हैक्टर पर है, वादी का कब्जे काश्त के अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट "क" वाद पत्र के संलग्न है जिसे इस वाद का ही एक भाग समझा जावे। वादी खसरा नम्बर 2501/340 में खातेदार काश्तकार है एवं बंटवारा अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सह खातेदारान को अपने कब्जा काश्त अनुसार भूमि रकबा 0.85 हैक्टर का भू–विभाजन विधिवत् रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने पर वादी को यह वाद पेश करना पड़ रहा है। वादी उपरोक्त खसरा संख्या 2501/340 में 1/2 हिस्से का विधिवत खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार की हैसियत [illegible] है। अतः वादी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। प्रतिवादी[illegible] ने धमकी दी है कि वे न तो भू–विभाजन करेगें तथा न [illegible] वादी को करने देगें तथा वादी को ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी [illegible] है एवं वादी के [illegible]दा भू–भाग को संयुक्त खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर किसी भू–माफिया [illegible] अन्य किसी संस्था के नाम विक्रय पत्र, बख्शीश पत्र व रहननामा इत्यादि कर देगें। ऐसा करने में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी एवं मुकदमें बाजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:09 IST
Reason: SelfAttested

.... 2 .....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उलझ जायेगा जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। वादी की इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कस्बा कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2501/340 कुल रकबा 0.85 हैक्टर का वाद केक साथ संलग्न परिशिष्ट "क" के माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर वादी की खसरा नम्बर 2501/340 कुल रकबा 0.85 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.4250 हैक्टर भूमि की अलग होल्डिंग कायम की जावे, प्रतिवादी संख्या 4 को तहरीर जारी फरमाई जावे कि डिक्री के आनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे, स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं डाले न ही अपने प्रतिनिधियों से डलवाये।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जो तस्दीक होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन रिपोर्ट सवार अनुसार लेने से इन्कार होकर आबाद मकान पर चस्पा होकर प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 3 अनुपस्थित रहा,जिससे उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पक्षकारान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अशोपुरी द्वारा की गई तथा प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान श्री मदनलाल कुमावत अधिवक्ता द्वारा की गई। मुताबिक राजीनामा अनुसार पक्षकारान ने कथन किया है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2501/340 में दक्षिणी 1/2 हिस्सा अर्थात 0.4250 हैक्टर भूमि पर वादी काबिज खातेदार है एवं वादी के हिस्से के उत्तरी तरफ 1/4 हिस्सा अर्थात 0.2125 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 काबिज खातेदार है, राजीनामे के साथ वादग्रस्त खसरा नं. 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा जो वादी के कब्जा काश्त में है नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित किया गया है एवं उक्त खसरे में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के कब्जे काश्त में है नजरी नक्शे में हरे रंग से अंकित किया गया है जो राजीनामें का अभिन्न अंग है। माफिक राजीनामा पक्षकारान ने बंटवारा चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:47:09 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी साक्ष्य में थोलू जमाबन्दी नकल सम्वत 2074 से 2077 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर की प्रस्तुत की तथा नक्शा ट्रेस की नकल की छाया प्रति प्रस्तुत की है। नकल खतौनी अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर में गोपाल पुत्र केशाराम हिस्सा 1/8 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार नारायणराम पुत्र हेमाराम हिस्सा 1/2 जाति कुमावत सा. टोरडा खातेदार भैरूराम पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हा सा. देह खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम हिस्सा 1/8 जाति कुम्हार साकिन देह

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदार दर्ज है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। जिन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का मुताबिक राजीनामा बंटवारा फरमाया जावे तथा अंतिम डिक्री जारी फरमाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर अपनी अपनी सुविधा अनुसार बंटवारा कर काबिज चले आ रहे है जिसका नजरी नक्शा भी राजीनामा के साथ प्रस्तुत किया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने प्रस्तुत राजीनामें के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की है। पक्षकारान आपस में सहमत है अतः वाद वादी काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न अनुसार मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर प्रस्तुत राजीनामे के साथ नजरी नक्शे अनुसार दक्षिणी हिस्से पर 1/2 हिस्सा अर्थात 0.4250 हैक्टर भूमि पर वादी (लाल स्याही से अंकित), एवं वादी के हिस्से के उत्तरी तरफ 1/4 हिस्सा अर्थात 0.2125 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 (हरे स्याही से अंकित), तथा शेष 1/4 हिस्से अर्थात 0.2125 हैक्टर पर प्रतिवादी सं.3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने तथा एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। राजीनामा एवं नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनाँक 8.4.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:09 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री मुकदमा इन्तेहाई</u>

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 08/2019

वादी

1. नारायणराम पुत्र हेमाराम जाति कुमावत निवासी टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोपाल पुत्र केशाराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र केशाराम
3. भैरूराम पुत्र बोदूराम जाति समस्त कुम्हार निवासी बानूड़ा स्कूल के पास कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा – बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.53 व 188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2501/340 रकबा 0.85 हैक्टर प्रस्तुत राजीनामे के साथ नजरी नक्शे अनुसार दक्षिणी हिस्से पर 1/2 हिस्सा अर्थात 0.4250 हैक्टर भूमि पर वादी (लाल स्याही से अंकित), एवं वादी के हिस्से के उत्तरी तरफ 1/4 हिस्सा अर्थात 0.2125 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 (हरे स्याही से अंकित), तथा शेष 1/4 हिस्से अर्थात 0.2125 हैक्टर पर प्रतिवादी सं.3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने तथा एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। राजीनामा एवं नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...8....माह ...4............ सन्...2019... को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत...................

ओहदा...................

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:09 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।